

प्रेस नोट

थाना- ककरबई, जिला-झाँसी

दिनांक:- 12.09.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना ककरबई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया,
- गिरफ्तार वारण्टी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 12.09.2026 को थाना ककरबई पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम जनपद झाँसी द्वारा जारी वारण्ट सम्बन्धित के0न0 63/2010 अ0सं0 13/10 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना ककरबई जनपद झाँसी बनाम पूरन आदि व केस0न0 86/11 अ0सं0 166/11 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना टोडी फतेहपुर जनपद झाँसी बनाम कल्लू आदि के अनुपालन में वारण्टी कल्लू उर्फ अर्जुन पुत्र सुल्तान सिंह निवासी-ग्राम खरका थाना ककरबई झाँसी उम्र करीब 44 वर्ष गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. कल्लू उर्फ अर्जुन पुत्र सुल्तान सिंह निवासी-ग्राम खरका थाना ककरबई झाँसी उम्र करीब 44 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री रविकान्त गोस्वामी थाना ककरबई जिला झाँसी
- 2-का0 30 आशीष यादव थाना ककरबई जिला झाँसी
- 3-रि0का0 रोबिन सिंह थाना ककरबई जिला झाँसी
- 4-रि0म0का0 प्रीती थाना ककरबई जिला झाँसी